भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA

Title:प्रेस प्रकाशनी

Reference No.:-- **Date:**28/03/2020

आईआरडीएआई (पुनर्बीमा) विनियम, 2018 के कुछ उपबंधों के लिए समय-सीमाओं की छूट

प्रेस प्रकाशनी

संदर्भ सं.:- दिनांकः28-03-2020

आईआरडीएआई (पुनर्बीमा) विनियम, 2018 के कुछ उपबंधों के लिए समय-सीमाओं की छूट

कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में लाकडाउन लागू करने सहित विभिन्न उपाय प्रारंभ किये हैं। इसी प्रकार की कार्रवाई इस समस्या के समाधान के लिए विभिन्न देशों की सरकारों द्वारा भी प्रारंभ की गई है जो पुनर्बीमाकर्ताओं के परिचालनों में व्यवधान के रूप में परिणत हो सकती है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए बीमा कंपनियों द्वारा उनके अंतिम पुनर्बीमा कार्यक्रम की प्रस्तुति के संबंध में बीमा कंपनियों के कार्यों के परिचालन के हित में आईआरडीएआई ने निम्नलिखित छूटों की अनुमति दी हैः

1. वर्तमान विनियामक उपबंधों के अनुसार, बीमाकर्ताओं के लिए आवश्यक है कि वे आपात प्रतिरूपण (माडलिंग) रिपोर्ट के सारांश के साथ 30 अप्रैल 2020 तक अपने बोर्ड द्वारा अनुमोदित अंतिम पुनर्बीमा कार्यक्रम फाइल करें।
2. कोविड-19 महामारी को देखते हुए, कुछ बीमाकर्ताओं के लिए ऊपर निर्धारित समय-सीमाओं का पालन करने में कठिनाई हो सकती है। इस प्रकार की स्थिति के होते हुए, बीमाकर्ता उपर्युक्त विनियामक उपबंधों का अनुपालन 31 मई 2020 को अथवा उससे पहले कर सकते हैं।
3. इस बात का ध्यान रखा जाए कि समय-सीमाओं की उपर्युक्त छूट केवल वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए ही है।
4. उपर्युक्त विनियमों के सभी अन्य उपबंध अपरिवर्तित रहेंगे।

दिनांकः28 मार्च 2020
स्थानःहैदराबाद

Press Release

Ref. No:-- Date:28-03-2020

Relaxation of timelines for certain provisions of the IRDAI (Re-insurance) Regulations, 2018

In view of Covid-19 pandemic, Government of India has initiated various measures including enforcement of lock-down in various areas. Similar steps are also initiated by Governments of various countries which could result in disruption in the operations of Reinsurers.

In the interest of operation of affairs of insurance companies pertaining to their submission of their final reinsurance programme for financial year 2020-21, the IRDAI has permitted following relaxations:

1. As per extant regulatory provisions, insurers has to file its Board approved Final Re-insurance Programme by 30th April 2020

along with a synopsis of catastrophe modelling report;

2. In view of COVID-19 pandemic, it may be difficult for some insurers to adhere with above stipulated time lines. Thus, the insurers may comply with the above regulatory provisions on or before 31st May, 2020;

3. It may please be noted that, the above relaxation of time lines is for financial year 2020-21 only;

4. All other provisions of said regulations shall remain unaltered.

Dated: 28th March, 2020
Place: Hyderabad